उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/विज्ञप्ति

महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती-2016

संख्याःपीआरपीबी-दो-1(9)/2016 (भाग-1)   दिनांकः दिसम्बर 26 , 2016

1.1- उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा के निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए **महिला अभ्यर्थियों** से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र0सं0	**पद नाम**	**वेतनमान**	**पदों की संख्या**
1	पुलिस उप निरीक्षक(गोपनीय)	पे बैण्ड-9300-34800 व ग्रेड पे-4200	34
2	पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक)	पे बैण्ड-5200-20200 व ग्रेड पे-2800	75
3	पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लेखा)	पे बैण्ड-5200-20200 व ग्रेड पे-2800	42

1.2- इन पदों के श्रेणीवार विवरण निम्नवत हैं:-

(क) पुलिस उप निरीक्षक(गोपनीय)

क्र0सं0	**श्रेणी**	**संख्या**
1	अनारक्षित	18
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	09
3	अनुसूचित जाति	07
4	अनुसूचित जनजाति	-
योग		**34**

(ख) पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक)

क्र0सं0	**श्रेणी**	**संख्या**
1	अनारक्षित	39
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	20
3	अनुसूचित जाति	15
4	अनुसूचित जनजाति	01
योग		**75**

(ग) पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लेखा)

क्र0सं0	श्रेणी	संख्या
1	अनारक्षित	23
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	11
3	अनुसूचित जाति	08
4	अनुसूचित जनजाति	-
	योग	**42**

1.3- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 02 प्रतिशत तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये 05 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

1.4- प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

1.5- अभ्यर्थी का चयन आवेदित पद के अनुसार कम्प्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के श्रेष्ठताक्रम एवं उनके आवेदन पत्र में अंकित प्रथम, द्वितीय, तृतीय वरीयता क्रम **(Order of Preference)** के आधार पर किया जायेगा।

2.1- **ऑनलाइन आवेदन की समय सारिणी:-**

क्र0सं0	विवरण	तिथि
1	पंजीकरण आरम्भ होने की तिथि	12-01-2017
2	पंजीकरण की अन्तिम तिथि	11-02-2017
3	आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	14-02-2017
4	आवेदन पत्र सबमिट करने की अन्तिम तिथि	18-02-2017

2.2- **आवेदन शुल्क:-**

इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क रू0-400/-(रूपये चार सौ मात्र) निर्धारित किया गया है।

3- अर्हतायें:-

3.1- **राष्ट्रीयता:-**

भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यॉमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रवजन किया हो।

परन्तु यह कि श्रेणी (ख) या (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु अग्रेतर यह कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणीः-ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है
किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों का चयन के बाद नियुक्ति तभी की जायेगी जब अपेक्षित प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

3.2- शैक्षिक अर्हताः-

(1)- पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) पद के लिए

(क)- भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता,

(ख)- कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण (इन्स्क्रिप्ट की-बोर्ड पर यूनीकोड में) तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण,

(ग)- न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि श्रुतिलेख,

(घ)- डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र।

(2)- पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक)पद के लिए

(क)- भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता,

(ख)- कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण (इन्स्क्रिप्ट की-बोर्ड पर यूनीकोड में) तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण,

(ग)- डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र।

(3)-पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) पद के लिए

(क)- भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखा शास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता,

(ख)- कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण (इन्स्क्रिप्ट की-बोर्ड पर यूनीकोड में),

(ग)- डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र।

टिप्पणीः-

(1) पंजीकरण की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण-पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहियें। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए **(appeared)** अथवा सम्मिलित होने वाले **(appearing)** अभ्यर्थी पात्र न होंगे।

(2) **आवेदन पत्र में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा ।**

3.3- **अधिमानी अर्हतायें:-**

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:-

(1)- डोएक **(DOEACC)**/नाइलिट **(NIELIT)** सोसायटी से उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर अपलीकेशन/प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उससे उच्च अर्हता प्राप्त किया हो,

(2)- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया हो,

(3)- प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो,

(4)- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

3.4 आयु:-

भर्ती के लिए यह आवश्यक है किः-

अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2016 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो।

परन्तुक यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये।

3.5 चरित्र

अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगें।

टिप्पणी-

संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

3.6- **वैवाहिक प्रस्थिति:-**

सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो,

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

3.7- शारीरिक स्वस्थता:-

किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाये। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

4- **भर्ती की प्रक्रिया:-**

यह चयन **'उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2016'** के अधीन किया जायेगा।

4.1 **ऑनलाइन लिखित परीक्षा :-**

ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाये जायेंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस लिखित परीक्षा में, वस्तुनिष्ठ प्रकार का, चार अलग-अलग निम्नलिखित विषयों का एक प्रश्नपत्र होगाः-

क्र0सं0	विषय	अधिकतम अंक
1	सामान्य हिन्दी/कम्प्यूटर ज्ञान	100 अंक
2	सामान्य जागरूकता/सामयिक विषय	100 अंक
3	संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	100 अंक
4	मानसिक अभिरूचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा	100 अंक

प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक पाली अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न प्रश्नपत्र के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित करायी जायेगी। प्रत्येक पालियों के प्रश्न-पत्र अलग-अलग होंगे और आवश्यकता पड़ने पर अंकों के प्रासामान्यीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। यदि किसी विषय में कोई प्रश्न त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो सिविल अपील संख्या-6547/2014 अनिल कुमार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 18-07-2014 के अनुसार उस प्रश्न को हल करने वाले और प्रयास करने वाले अभ्यर्थयों को उसके पूरे अंक दिये जायेंगे। ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट-1** पर है। ऑनलाइन परीक्षा के उपरान्त बोर्ड द्वारा आमन्त्रित किये जाने पर अभ्यर्थियों को आपत्तियॉ दर्ज कराने हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। आपत्ति सही पाये जाने पर उक्त धनराशि वापस कर दी जायेगी।

4.2 **<u>अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा</u>**

प्रस्तर-4.1 में वर्णित लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर उनसे अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जायेगी।

<u>शारीरिक मानक परीक्षण के मानक</u>

(क) ऊँचाई:

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 150 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 145 सेन्टीमीटर है।

(ख) वजन- न्यूनतम 40 कि0ग्राम

4.2.1- अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जायेगी जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे। यथा आवश्यकता समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किये जायेंगे। कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षण के उपरान्त उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण दल द्वारा इस प्रयोजन हेतु नामित अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जायेंगे उन्हें भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा एवं तदोपरान्त किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जायेगी। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा को कराये जाने की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

4.3- <u>कम्प्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा</u>

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थी से अर्हकारी प्रकृति की कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। कम्प्यूटर टंकण की अर्हकारी गति अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद के अनुसार होगी। अभ्यर्थी को हिन्दी टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। केवल वही अभ्यर्थी, जिनके द्वारा पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद हेतु आवेदन किया गया है और कम्प्यूटर टंकण में उत्तीर्ण होते है, आशुलिपि परीक्षा में सम्मिलित होंगे, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। कम्प्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा को कराये जाने की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

टिप्पणी:-

(1) लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा कम्प्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा की तिथि व समय की सूचना यथासमय अधिसूचित की जायेगी।

(2) लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा कम्प्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा के प्रवेश-पत्र यथासमय बोर्ड की वेबसाइट **http://prpb.gov.in** पर उपलब्ध होगें जहां से अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।

4.4 <u>चयन तथा अन्तिम श्रेष्ठता सूची</u>

ऐसे अभ्यर्थियों में से जिन्होंने कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की है और ऐसे अभ्यर्थियों में से जिन्होंने उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद हेतु आवेदन किया है और आशुलिपि परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर, प्रत्येक पद के लिए आरक्षण नीति के दृष्टिगत, रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार की जायेगी और उसे चिकित्सा परीक्षा/चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को संस्तुति सहित प्रेषित की जायेगी। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी।

टिप्पणी:-यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो उनकी ज्येष्ठता का विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा:-

(1) यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो, ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान्यता प्रदान की जायेगी जो प्रस्तर 3.3 में अंकित अधिमानी अर्हता के क्रम के अनुसार कोई अधिमानी अर्हता रखते हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।

(2) उपर्युक्त के होते हुए भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

(3) यदि उपरिलिखित के वावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता, उनके हाईस्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, निर्धारित की जायेगी।

4.5 चिकित्सा परीक्षा

चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् द्वारा चिकित्सा मैनुअल व 'पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र' के अनुसार की जायेगी। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

4.6 चरित्र सत्यापन

नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व और अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

5- आरक्षण व आयु सीमा में छूट

अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों (केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य) के लिये आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा में छूट से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार हैं:-

5.1- लम्बवत (वर्टिकल) आरक्षण

क्र0 सं0	श्रेणी	प्रतिशत	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण-पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	21	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-2	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी /सिटीमजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी
2	अनुसूचित जनजाति	02	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-2	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी /सिटीमजिस्ट्रेट /परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-1	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

5.2 - क्षैतिज (हारिजेण्टल) आरक्षण

क्र0सं0	समूह	प्रतिशत	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण-पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	02	-	आश्रित प्रमाण पत्र प्रारूप-3	जिलाधिकारी
2	भूतपूर्व सैनिक	05	3 वर्ष *	यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी

*भूतपूर्व सैनिकों की आयु, सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5.3- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्याः 2-ईःएमः/2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। आयु में छूट चाहने वाले राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण पत्र**प्रारूप-4** के अनुरुप निर्गत होना चाहिये।

5.4- शासन के पत्र संख्या-17/6-पु0-10-2016-27(3)/2016 दिनांक 18 जनवरी, 2016 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में आने के कारण आयु सीमा में छूट की पात्रता है, उन्हें केवल उसी श्रेणी के आधार पर आयु सीमा में छूट दी जायेगी, जिसमें उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट की अनुमन्यता है।

टिप्पणी

(1) यदि अनुसूचित जाति/जनजाति की कोई स्त्री किसी सवर्ण पुरुष से विवाह करती है तो उसे विवाह के उपरान्त भी पूर्व में अनुमन्य आरक्षण मिलता रहेगा।

(2) यदि कोई सवर्ण स्त्री किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के पुरूष से विवाह करती है तो उस स्त्री को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(3) गोद लिये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित बच्चा गोद लेने वाले व्यक्ति की अपनी सन्तान स्वरूप हो जाता है। अतः यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई व्यक्ति किसी सवर्ण बच्चे को नियमानुसार गोद लेता है तो उस बच्चे को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य होगा।

(4) उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-iii-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 में निर्धारित उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप-1, उत्तर-प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप-2 तथा शासनादेश संख्या-5/2015/18/1/2008-का-2/2015 दिनांक 21 अप्रैल, 2015 में निर्धारित उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र का आलेख **प्रारूप-3** पर है।

(5) **भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाणपत्र के प्रपत्र पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे।**

(6) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (समय-समय पर यथा संशोधित) की अनुसूची-दो के अनुसार **क्रीमीलेयर** के अन्तर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। **अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-1) 01 अप्रैल, 2016 या उसके बाद का किन्तु इस भर्ती हेतु निर्धारित पंजीकरण की अन्तिम तिथि 11-02-2017 तक का निर्गत होना चाहिए।**

(7) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें तथा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे प्रस्तुत करें।

(8) लम्बवत/क्षैतिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने सम्बन्धी निवास प्रमाण-पत्र (डोमीसाइल सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जाति प्रमाण-पत्र में अंकित निवास स्थान को निवास प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा।

(9) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो उसके लिये ज्यादा लाभकारी होगा।

(10) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

(11) आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में संबंधित मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर यह अवधारणा की जायेगी कि अभ्यर्थी आरक्षण का दावेदार नहीं है एवं तदनुसार यह दावेदारी निरस्त कर, यदि अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की समस्त पात्रताओं

को पूर्ण करता हो तो, उसे सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत मानते हुए भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जायेगा। इस संबंध में किसी संशोधन/परिवर्तन हेतु पुनः कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

(12) जो अभ्यर्थी केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत है, वें अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे प्रस्तुत करें।

6- <u>अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना-</u>

ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अभिलेख होने आवश्यक हैः-

क- शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी अभिलेख-

(1)- स्नातक उपाधि अंक पत्र/प्रमाण पत्र

(2)-डोएक **(DOEACC)**/नाइलिट **(NIELIT)** सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र।

ख- **अधिमानी अर्हता सम्बन्धी अभिलेख (यदि कोई हो तो)-**

(1)- डोएक **(DOEACC)**/नाइलिट **(NIELIT)** सोसायटी से उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर अपलीकेशन/प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उससे उच्च अर्हता का प्रमाण-पत्र।

(2)-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि अंक पत्र/प्रमाण पत्र।

(3)-प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा का प्रमाण पत्र।

(4)-राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र।

ग- आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट के दावे सम्बन्धी अभिलेख (यदि लागू हो)-

(1)- मूल निवास प्रमाण पत्र

(2)- अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित **प्रारूप-1** पर (01 अप्रैल, 2016 या उसके बाद का किन्तु इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित पंजीकरण की अन्तिम तिथि तक) निर्गत होना चाहिए।

(3)- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र निर्धारित **प्रारूप-2** पर (इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित पंजीकरण की अन्तिम तिथि तक या इससे पूर्व) निर्गत होना चाहिए।

(4)- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र निर्धारित **प्रारूप-3** पर निर्गत होना चाहिए।

(5)-भूतपूर्व सैनिक यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/सेवामुक्ति प्रमाण पत्र, यूनिट के कमाण्डेन्ट द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट'।

(6)- आयु में छूट चाहने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र निर्धारित **प्रारूप-4** पर होना चाहिए।

घ- फार्म में स्कैन करके अपलोड करने हेतु अभ्यर्थी की नवीनतम और आवक्ष तक रंगीन फोटो और हस्ताक्षर।

7-आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

7.1- आवेदन करने हेतु 'ऑनलाइन आवेदन पद्धति' लागू है।

7.2- 'ऑनलाइन आवेदन पत्र' भरने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-

(1) बोर्ड की वेबसाइट **http://prpb.gov.in** पर जायें।

(2) ऑनलाइन आवेदन को भरे जाने हेतु वेबसाइट पर दिये गये विस्तृत निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तद्नुसार आवेदन करें।

(3) बोर्ड की वेबसाइट पर Candidate's Registration को 'क्लिक' करने पर आवेदन का एक प्रारूप स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी वांछित सूचनायें भरेंगे।

(4) ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित तीन चरणों में किया जायेगाः-

<u>(i) प्रथम चरण-पंजीकरण</u>

अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित Candidate's Registration को क्लिक करने पर प्राप्त फार्म में सूचनायें भरकर पंजीकरण करें तथा Registration slip प्रिन्ट कर अपने पास सुरक्षित रख लें। ध्यान रखें कि अगले चरण में रजिस्ट्रेशन नम्बर अभ्यर्थी को निर्धारित स्थान पर सही-सही प्रविष्ट करना होगा।

(ii) द्वितीय चरण-शुल्क का भुगतान

अभ्यर्थी ई-चालान, इण्टरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल कर सकता है। यदि ई-चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना हो तो अभ्यर्थी भारतीय स्टेट बैंक का ई-चालान प्रिन्ट कर लें। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी को एक ट्रान्जेक्शन आईडी प्राप्त होगी जिसका उपयोग कर अभ्यर्थी फार्म का तीसरा भाग तत्काल भर सकता है। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पाता है तो वह शुल्क जमा करने की निर्धारित अवधि में उसका भुगतान कर सकता है।

(iii) तृतीय चरण-आवेदन पत्र जमा किया जाना

(1) निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद 'सबमिट अप्लीकेशन फार्म लिंक' को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर, ट्रान्जेक्शन आईडी आदि भरने के बाद प्रोसीड बटन को क्लिक करेगा। इसके उपरान्त अभ्यर्थी को अपना फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा।

(2) अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो व हस्ताक्षर आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार (न्यूनतम 20 के0बी0 तथा अधिकतम 50 के0बी0) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष होनी चाहिए। फोटो का आकार 35 मि0मी0 (1.4 इंच) ग 45 मि0मी0 (1.75 इंच) का होना चाहिए। सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए:-

1- चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक/छाया नहीं होनी चाहिए।
2- नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो।
3- कंधें साफ दिखने चाहिए।
4- सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है।
5- ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो तथा लगभग 70 प्रतिशत भाग आच्छादित करता हो।
6- तटस्थ अभिव्यक्ति (मुंह बन्द, ऑखें खुली)।
7- चेहरे के दोनों किनारे (दोनों कान) साफ दिखते हुए।
8- कैमरे पर सीधी नजर हो।
9- चश्मा पहनने की स्थिति में ऑखें साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए।
10- फोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए।

यदि उपरोक्तानुसार फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र को ऑनलाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा।

(3) आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियां अंकित करने के बाद 'View application Form' को क्लिक करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गयीं हैं।

(4) पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद आवेदन पत्र बोर्ड को जमा करने हेतु Submit बटन को क्लिक करें। **यदि अभ्यर्थी द्वारा 'Submit' बटन को क्लिक नहीं किया जायेगा तो आवेदन बोर्ड को प्राप्त नहीं होगा।**

(5) **'Submit'** बटन को क्लिक करने के पश्चात आवेदन का प्रिन्ट आउट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आउट बोर्ड में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7.3- एक बार आवेदन **'Submit'** करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

7.4- ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई प्रमाण-पत्र/अंकतालिका प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु ऑनलाइन आवेदन करते समय सही प्रमाण-पत्र संख्या, अनुक्रमांक तथा प्राप्तांक आदि का विवरण भरना आवश्यक होगा।

7.5- ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने हेतु विस्तृत निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर यथासमय उपलब्ध रहेंगे।

7.6- <u>आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:-</u>

(1) जो अभ्यर्थी आवेदन के समय किसी शासकीय सेवा में हैं उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया के समय अपने नियोक्ता द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट' प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) अभ्यर्थी, आवेदन-पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन-पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

8- <u>अन्य</u>

1- विज्ञापित पदों पर की जा रही यह भर्ती अस्थाई है।

2- अभ्यर्थी दिवालिया न हो तथा किसी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित न हुआ हो।

3- किसी अनाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, दोषसिद्ध होने, ऐसे पुरूष से विवाह करने जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो या तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन अथवा चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा बोर्ड की परीक्षाओं एव चयनों से प्रतिवारित **(Debar)** करने का अधिकार बोर्ड को होगा।

4- यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं को पूरी नहीं करता है और/अथवा उसने गलत/झूठी सूचना/ सर्टिफिकेट/अभिलेख प्रस्तुत किये हैं अथवा उसने कोई वास्तविक तथ्य छुपाये हैं, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। यदि इस प्रकार की कोई कमी अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात प्रकाश में आती है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

5- इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से जो सूचनाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

6- यह विज्ञप्ति संगत सेवा नियमावली, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार जारी की जा रही है। किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभाष की स्थिति में संगत सेवा नियमावली, आरक्षण अधिनियम व एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था मान्य होगी।

9- <u>बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा</u>

अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केन्द्रों के आवंटन सम्बन्धी सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

10- <u>**न्यायिक क्षेत्राधिकार**</u>

इस विज्ञापन तथा उसके प्रत्युत्तर में आवेदन से उत्पन्न किसी दावे या विवाद हेतु कानूनी कार्यवाही केवल लखनऊ स्थित न्यायालय में ही शुरू की जा सकेगी।

अपर सचिव (भर्ती)
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-iii-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/सुपुत्री/श्री.........
..................................निवासीग्राम...................तहसील.....................नगर.........................जिला................
.................उत्तर प्रदेश राज्य की..................................पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय **आठ लाख** रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी....................................तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम...........................तहसील............................नगर............................जिला..........................में सामान्यतः रहता है।

स्थान.................................

दिनांक..............................

मुहर................................

हस्ताक्षर.............................

पूरा नाम............................

पदनाम..............................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

<u>प्रारूप-2</u>

<u>उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र</u>

शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-iii-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.................................सुपुत्र/सुपुत्री/श्री...निवासी ग्राम....................तहसील.....................नगर.................... ......जिला.......................... ....उत्तर प्रदेश राज्य की....................................जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/ संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है। श्री/श्रीमती/कुमारी....................................तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.........................ग्राम............................तहसील.................नगर.............................जिला..........................में सामान्यतया रहता है।

स्थान.................................

दिनांक..............................

मुहर..................................

हस्ताक्षर..............................

पूरा नाम.............................

पदनाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

प्रारूप-3

उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

शासनादेश संख्या-5/2015/18/1/2008-का-2/2015 दिनांक 21अप्रैल, 2015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.......................................निवासी ग्राम...तहसील.....................नगर.......................जिला...................... 'उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993' के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित)........................पुत्र/पुत्री/पौत्र(पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)...................................के आश्रित है।

स्थान.......................................

दिनांक.......................................

हस्ताक्षर.....................................

पूरा नाम....................................

पद नाम.....................................

मुहर..

जिलाधिकारी(सील)

प्रारूप-4

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में भर्ती हेतु आयु में छूट चाहने वाले राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले

<u>प्रमाण पत्र का प्रारूप</u>

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाये जहां अभ्यर्थी कार्यरत है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी.............................राज्य सरकार के कर्मचारी है जो वेतनमान.................................... में .... के पद पर ....विभाग/कार्यालय में दिनांक.........................से नियमित आधार पर सेवारत हैं।

स्थान......................................

दिनांक......................................

हस्ताक्षर.....................................

(कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष)

नाम....................................

पद नाम.....................................

मुहर..............................

परिशिष्ट-1

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

क्र0सं0	विषय	अधिकतम अंक
1	सामान्य हिन्दी/कम्प्यूटर ज्ञान	100 अंक
2	सामान्य जागरूकता/सामयिक विषय	100 अंक
3	संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	100 अंक
4	मानसिक अभिरूचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/ तार्किक परीक्षा	100 अंक

1-सामान्य हिन्दी/कम्प्यूटर ज्ञान (General Hindi/Computer Knowledge)

क-सामान्य हिन्दी (General Hindi)

1-हिन्दी और अन्य भारतीय भाषायें, 2-हिन्दी व्याकरण का मौलिक ज्ञान- हिन्दी वर्णमाला, तद्भव-तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि, समास, विराम-चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छन्द, अलंकार आदि, 3-अपठित बोध, 4-प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनायें, 5-हिन्दी भाषा में पुरस्कार, 6-विविध।

ख-कम्प्यूटर ज्ञान (Computer Knowledge)

1. Basic computer fundamentals.
2. History and future of computers.
3. Algorithm, Flowchart & number system.
4. Operating system and basics of windows.
5. Computer Abbreviation.
6. Microsoft office.
7. Basic knowledge of Internet use.
8. Shortcut keys.
9. Computer communication and Internet.
10. Programming language.
11. Application of net technology.
12. Web design.
13. Basic Software and hardware and their functionalities.
14. Networking.
15. Www and web browsers.
16. IT tools and business system.
17. Introduction to multimedia.
18. Emerging Technologies-Artificial intelligence, mobile computing, green computing, Banking & e-commerce application etc.

2- सामान्य जागरूकता/सामयिक विषय (General Awareness/Current Affairs)

क- सामान्य जागरूकता (General Awareness)

सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उ0प्र0 की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी, उ0प्र0 में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच सम्बन्ध।

ख- सामयिक विषय (Current Affairs)

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, रेल बजट का सामान्य बजट में विलय, सिन्धु जल समझौता, रियो ओलम्पिक, वस्तु एवं सेवाकर, पुरस्कार और सम्मान, देश/राजधानी/मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी का मौलिक/आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन, इण्टरनेट बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, डिजिटल वालेट।

3- संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा (Numerical and Mental Ability Test)

क-संख्यात्मक योग्यता परीक्षा-(Numerical Ability Test)

Number System-संख्या पद्धति, Simplification- सरलीकरण, Decimals and Fraction-दशमलव और भिन्न, Highest common factor and lowest common multiple-महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, Ratio and Proportion-अनुपात और समानुपात, Percentage-प्रतिशतता, Profit and Loss-लाभ और हानि, Discount-छूट, Simple interest-साधारण ब्याज, Compound interest-चक्रवृद्धि ब्याज, Partnership-भागीदारी, Average-औसत, Time and Work-समय और कार्य, Time and Distance-समय और दूरी, Use of Tables and Graphs-सारणी और ग्राफ का प्रयोग, Menstruation-मेन्सुरेशन, Arithmetical computations and other analytical functions-अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, Miscellaneous-विविध।

ख- मानसिक योग्यता परीक्षा (Mental Ability Test)

Logical Diagrams-तार्किक आरेख, Symbol-Relationship Interpretation-संकेत-सम्बन्ध विश्लेषण, Perception Test-प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, Word formation Test-शब्द रचना परीक्षण, Letter and number series-अक्षर और संख्या श्रृंखला, Word and alphabet Analogy-शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, Common Sense Test-व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, Direction Sense Test-दिशा ज्ञान परीक्षण, Logical interpretation of data-आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, Forcefulness of argument-प्रभावी तर्क, Determining implied meanings-अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना।

4-मानसिक अभिरूचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा (Mental Aptitude Test/I.Q. Test/ Reasoning)

क-मानसिक अभिरूचि परीक्षा (Mental Aptitude Test)

Attitude towards the following-निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोणः- Public Interest-जनहित, Law and order-कानून एवं शांति व्यवस्था, Communal harmony-साम्प्रदायिक सद्भाव, Crime Control-अपराध नियंत्रण, Rule of law-विधि का शासन, Ability of Adaptability-अनुकूलन की क्षमता, Professional Information (Basic level)-व्यावसायिक सूचना (बेसिक स्तर की), Police System-पुलिस प्रणाली, Contemporary Police Issues & Law and order-समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून

व्यवस्था, Interest in Profession-व्यवसाय के प्रति रूचि, Mental toughness-मानसिक दृढ़ता, Sensitivity towards minorities and underprivileged-अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, Gender sensitivity-लैंगिक संवेदनशीलता।

<u>ख-बुद्धिलब्धि परीक्षा (I.Q. Test)</u>

Relationship and Analogy Test-सम्बन्ध व आंशिक समानता परीक्षण, Spotting out the dissimilar-असमान को चिन्हित करना, Series Completion Test-श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, Coding and Decoding Test-संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, Direction Sense Test-दिशा ज्ञान परीक्षण, Blood Relation-रक्त सम्बन्ध, Problem based on alphabet-वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, Time sequence Test-समय-क्रम परीक्षण, Venn Diagram and chart type test-वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, Mathematical ability Test-गणितीय योग्यता परीक्षण, Arranging in order-क्रम में व्यवस्थित करना।

<u>ग-तार्किक परीक्षा (Reasoning)</u>

Analogies-समरूपता, Similarities-समानता, Differences-भिन्नता, Space visualization-खाली स्थान भरना, Problem solving-समस्या को सुलझाना, Analysis judgement-विश्लेषण निर्णय, Decision making-निर्णायक क्षमता, Visual memory-दृश्य स्मृति Discrimination-विभेदन क्षमता, Observation-पर्यवेक्षण, Relationship-सम्बन्ध, Concepts-अवधारणा, Arithmetical reasoning-अंकगणितीय तर्क, Verbal and figure classification-शब्द और आकृति वर्गीकरण, Arithmetical number series-अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, Abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationships-अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके सम्बन्धों से सामंजस्य की क्षमता।